(क) सेवा लागत सिद्धान्त (Cost of Service Principle)

कर भार के वितरण के पक्ष में यह सबसे प्राचीन सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के अनुसार समान लागत के लिए कर की समान राशि की आवश्यकता है। लागत जितनी अधिक हो कर दर भी उतनी ज्यादा होनी चाहिए अथवा लागत जितनी कम हो कर दर भी उतनी ही कम होनी चाहिए। इस सिद्धान्त के अनुसार सरकार एक निजी कम्पनी की तरह है।

सेवा लागत सिद्धान्त को कराधान का आधार नहीं माना जा सकता क्योंकि कर एक भुगतान है जिसका किसी प्रत्यक्ष लेन-देन से सम्बन्ध नहीं है। कर विभिन्न सेवाओं की लागत के आधार पर नहीं लगाए जा सकते। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी सेवायें जो सामुदायिक प्रकार की होती हैं उनकी व्यक्तिगत लागत निर्धारित नहीं की जा सकती। अतः इस सिद्धान्त को कर निर्धारण का आधार नहीं बनाया जा सकता। यदि सरकारी सेवाओं की लागत का निर्धारण किया जाए तो यह सरकारी सेवाओं के ऊपर अवाच्छनीय सीमा लगाएगा। अतः यह सिद्धान्त स्वीकार्य नहीं है। दूसरी तरफ यदि लागत को कराधान का आधार माना जाए तो इससे बहुत से कार्य असम्भव हो जायेंगे जिन्हें सरकार को अनिवार्य रूप से करती है। उदाहरणतः

Scanned with CamScanner

भूकम्प के बाद सरकार भूकम्प पीड़ितों को सहायता नहीं देगी क्योंकि वे लोग सहायता की लागत को सहन करने में समर्थ नहीं होगे। बहुत सी सेवाएं जैसे मुफ्त शिक्षा, इस सिद्धान्त के आधार पर नहीं दी जा सकती। परन्तु कुछ सेवाएं इस प्रकार की होती हैं जिनमें राज्य लाभ प्राप्त कर्ताओं से व्यक्तिगत लागत ले सकता है जैसे बिजली की आपूर्ति, डाक सेवा इत्यादि। इस प्रकार की सेवाओं में मूल्य उनकी लागत के अनुसार निर्धारित किए जा सकते हैं। परन्तु ये मूल्य हैं न कि कर।

सीमाएं/समस्याएं (Limitations/Problems) – यह सिद्धान्त सैद्धान्तिक समस्याओं अथवा सीमाओं से मुक्त नहीं है। यह समस्यायें/सीमायें हैं–

1. सबसे बड़ी समस्या है राज्य द्वारा प्रदत्त सेवाओं की लागत को मापने और उन्हें उपयुक्त लाभकर्त्ताओं को सौंपने से सम्बन्धित है।
2. बहुत से मामलों में लागत को मापने की धारणा स्पष्ट नहीं है।
3. सामाजिक लाभों और लागतों के रूप में कुछ बाह्य मामले।

यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उपरोक्त सीमाएं सभी मामलों पर लागू नहीं होती। बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें विशेष लाभकर्त्ताओं पर कर लगाया जाना चाहिए और वहां ऐसा करना तर्क संगत भी होता है। उदाहरणतः जब किसी क्षेत्र में सिंचाई सुविधा अथवा आवासीय घरों का निर्माण करके विकास की योजना हो और यह समाज के किसी विशिष्ट वर्ग को सहायता देने के लिए न बनायी गयी हो तो योजना की लागत को वसूल करने के लिए विशेष निर्धारण अथवा विकास शुल्क लगना उपयुक्त होता। ऐसी स्थिति में मुख्य कार्य लाभकर्ताओं की पहचान कर योजना की अनुपातिक लागत उन पर लगाई जानी चाहिए। यदि लक्ष्य गरीब वर्ग की सहायता करना हो तो कर लगाने का यह सिद्धान्त लागू नहीं होगा। वास्तव में इस सिद्धान्त की मुख्य त्रुटि यह है कि इसमें व्यावहारिकता का अभाव है।

(ख) लाभ सिद्धान्त (Benefit Principle)

लाभ सिद्धान्त के अनुसार सरकार द्वारा किए गए व्ययों से व्यक्ति को प्राप्त लाभों के अनुपात में कर भार होना चाहिए। सरकार से समान लाभ प्राप्त करने वाले समान कर ज्यादा लाभ प्राप्त करने वाले ज्यादा कर और कम लाभ प्राप्त करने वाले कम कर प्रदान करें। सरकार को करदाता पर उससे ज्यादा कर नहीं लगाने चाहिएं जितने लाभ वह प्राप्त कर रहा हो। कर राज्य द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य है। इस प्रकार इस सिद्धान्त के अनुसार यदि सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं से प्राप्त लाभों के अनुपात में कर दिया जाये तो वह न्यायपूर्ण होगा। यही इस सिद्धान्त का मूल तत्व है।

चित्रानुसार व्याख्या (Diagramm Explanation) – 17वीं शताब्दी में कर के लाभ सिद्धान्त को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। इसे राज्य के संविदा सिद्धान्त का प्राकृत्तिक पूरक माना गया। **सर विलियम पैटी** के अनुसार, **"यह सभी व्यक्तियों द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक परिव्यय में अपना अंश देना चाहिए परन्तु यह सार्वजनिक शांति में उनके अंश और उनके हित के बराबर हो, जो कि उनकी संपदा और वैभवता के अनुरूप होता है।" "It is generally allowed by all that man should contribute to the public charge but according to the share and the interest they have in public peace; that is according to their estates and the riches."** सर विलियम पैटी का यह कथन लाभ एवं क्षमता दोनों सिद्धान्तों पर विचार करता है। इसे बीमा सिद्धान्त भी कहा गया है। **एडम स्मिथ** (Adam Smith) ने ठीक ही कहा है, **"प्रत्येक राज्य की जनता को सरकार के राजस्व में जहां तक संभव हो उतना सहयोग जरूर देना चाहिए जितना कि राज्य की सुरक्षा के अन्तर्गत रहकर वह लाभ उठा रहा हो।" "The subject of every state ought to contribute towards the support of the government as nearly as possible to the revenue which they respectively enjoy under the protection of the state."** इस प्रकार यह सिद्धान्त इस धारणा में विश्वास करता है कि "जितना आप देते हैं उससे अधिक मत लीजिये।" इसके अतिरिक्त यह सिद्धान्त यह बताता है कि सरकार द्वारा प्रदान किए गए कुल लाभ व्यक्तियों द्वारा कर के रूप में किए गए सामूहिक त्याग की प्रतिपूर्ति है। इसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है–

कुल लाभ = करों का कुल भार
सामूहिक लाभ = करों के रूप में सामूहिक भुगतान

इस सिद्धान्त को चित्र 10.1 की सहायता से वर्णित किया जा सकता है। चित्र 10.1 में AB कर लाभ रेखा है।

Scanned with CamScanner

OM कर की मात्रा होने पर OP सामूहिक लाभ है, करों के OM से OM^1 होने पर लाभ भी बढ़कर OP से OP^1 हो जाते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि कर जितना अधिक होगा लाभ उतने ही अधिक होंगे या इसके विपरीत।

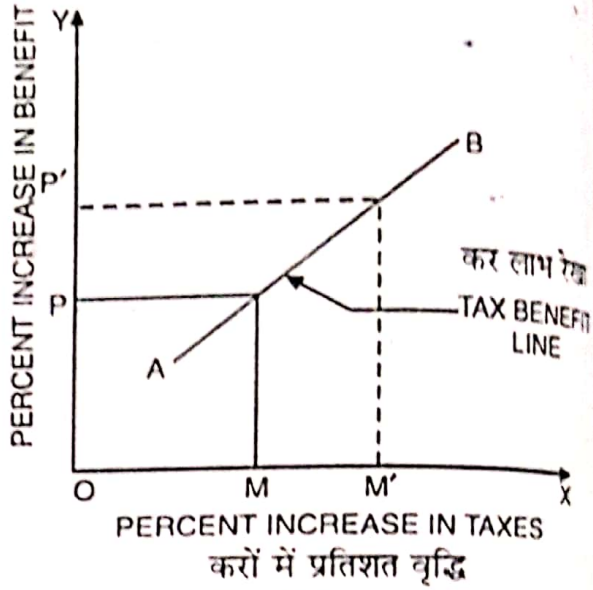

Fig. 10.1

लाभ सिद्धान्त की सीमाएं (Limitations of Benefit Principle)—इस सिद्धान्त पर विभिन्न आपत्तियां उठाई गई हैं—

1. यह सिद्धान्त इस अवधारणा पर आधारित है कि सरकार की विभिन्न और जटिल गतिविधियां प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त लाभों के आधार पर परिकलित की जाएं। यह एक आदर्शवादी मान्यता है जिसमें व्यावहारिक समस्याओं की अवहेलना की गयी है।
2. यह सिद्धान्त राज्य और व्यक्तियों के मध्य विशिष्ट संबंधों पर विकसित किया गया। यह संबंध केवल मूल्य विनिमय पर आधारित है। सरकार कुछ निर्धारित सेवाएं प्रदान करती हैं और व्यक्ति उनके लिए भुगतान करते हैं। परन्तु इस प्रकार के संबंध अब ज्यादातर सार्वजनिक सेवाओं के लिए अस्तित्व में नहीं हैं क्योंकि एक व्यक्ति विशेष को प्राप्त लाभों की गणना करना बहुत कठिन है।
3. आधुनिक समय में सरकार कल्याणकारी हैं और वे हर प्रकार की सेवाएं प्रदान करने का प्रयत्न करती है ताकि सम्पूर्ण समाज का कल्याण हो। अतः व्यक्ति और समाज को प्रदान किए गए लाभों को परिकलित करना असंभव है।
4. साधारणतः लाभ पूर्ण समुदाय द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अतः व्यक्ति पर कर नहीं लगाया जा सकता, परन्तु कराधान को सामुहिक यन्त्र के रूप में सरकार की मदद के लिए उपयोग में लाना चाहिए।
5. लाभ सिद्धान्त अन्याय पूर्ण होगा यदि इसे बिना सोचे समझे लागू किया जाए। अतः यह सिद्धान्त राज्य की कल्याणकारी गतिविधियों को एक चुनौती है।
6. इस सिद्धान्त के अनुसार अनिवार्य वस्तुओं के लिए अमीर और गरीब वर्ग को समान कर देने चाहिए जो कि न्यायपूर्ण नहीं है क्योंकि अमीर वर्ग के लिये मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता कम होती है और गरीब लोगों की ज्यादा।
7. लाभ सिद्धान्त आय और सम्पत्ति के वितरण की समस्या को हल नहीं कर सकता जो कि सार्वजनिक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू है।

लाभ सिद्धान्त का महत्व (Significance of Benefit Principle)—इन सीमाओं के बावजूद लाभ सिद्धान्त का महत्व इस प्रकार है—

1. प्रोत्साहन की हष्टि से इसका पक्ष लिया जाता है। कराधान पर यदि कर देय क्षमता लागू हो तो इससे आर्थिक उतार-चढ़ाव में कमी आएगी। इस प्रकार यह आर्थिक न्याय को प्रोत्साहित करेगा।
2. यह सिद्धान्त सरकार द्वारा प्रदान की गई कुछ वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है जैसे बिजली, यातायात सेवाएं, जहां व्यक्तियों द्वारा प्राप्त लाभ बिना किसी कठिनाई के मापे जा सकते हैं।
3. लाभ सिद्धान्त का प्रयोग स्थानीय सरकारों द्वारा सार्वजनिक कार्य से होने वाले लाभ के विशिष्ट मूल्यांकन हेतु किया जा सकता है।

वास्तव में सिद्धान्त यह सुझाव देता है कि कर एकत्रित करने का लक्ष्य कल्याणकारी राज्य में करदाताओं को अधिकतम सेवाएं प्रदान करना है। सामाजिक कार्यों और संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सुविधा लोगों की उत्पादन क्षमता को विशेष रूप से प्रभावित करती है। स्थानीय सरकारों द्वारा दी गई सेवाओं को सरलता से अनुमानित किया जाता है और कर लगाया जाता है। यहां पर **प्रो. बुचलर** (Buchlar) के कथन को उद्धृत करना सही है—निष्कर्ष रूप में लाभ सिद्धान्त चाहे कितना भी असंतोषजनक हो परन्तु करों के लिए स्तर रूप में कराधान पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।

Scanned with CamScanner